

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**यूआईडी संख्या: **UPFS/2026/195651/BAL/BALLIA/834/CFO**दिनांक: **14-04-2026**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **AMBITION CONVENT SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **84,UJIAR KURMIDIH,BALLIA** तहसील - **BALLIA**, प्लॉट एरिया **9145.89 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **2596.84** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
AMBITION CONVENT SCHOOL	2	0	8.23 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **AMBITION CONVENT SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **08-05-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **AJIT RAI 70211@cbseshiksha.in 9871443151** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **08-05-2026** से **07-05-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **AMBITION CONVENT SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **AMBITION CONVENT SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : AS PER FSSO REPORT-

- 1- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जायेगा ।
 - 2- निकास मार्ग अवरोध रहित रखना अनिवार्य है ।
 - 3- विद्युत सुरक्षा विभाग से ऑडिट कराया जाना अनिवार्य है ।
- अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन प्रस्तुत मानचित्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर NBC 2016, अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024 व शासनादेश संख्या- 187/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक- 07 जनवरी 2022 में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत संस्तुति की जाती है ।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)Digitally Signed By
(BHARTENDU JOSHI)

[7EFBBC2D2CE5AF3011A9A38BECB538ADD79CB1B8]

08-05-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : **08-05-2026**
स्थान : **BALLIA**